राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 505/2009/सिरोही.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वार्ड–I, वृत–I, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

अजमेर सिंह जरिये मैसर्स नॉर्थ वेस्ट केयरिंग कॉर्पोरेशन,
सिरोही. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 04/11/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 84 के तहत अपील संख्या 1933/आरएसटी/एनआरडी/1997–98 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वार्ड–I, वृत–I, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 02.07.1996 को वाहन संख्या आर.जे.13 जी/3103 को सोडाला, जयपुर में श्री संदीप के गोदाम में माल खाली करते समय चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में एच.आर.शीट 10 बण्डल से सम्बन्धित बिल्टी संख्या 12374 दिनांक 26.06.1996 नॉर्थ वेस्ट केरिंग कॉर्पोरेशन तथा बिल संख्या 91117 दिनांक 26.06.1996 मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा का मैसर्स कलकत्ता हार्डवेयर सप्लाई एजेन्सी नई दिल्ली के नाम से सम्बन्धित दस्तावेजात पाये गये। वक्त जांच श्री रामभाई जयपुरिया गोदाम पर उपस्थित पाये गये, जिन्होंने उक्त गोदाम श्री संदीप का होना बताया। अतः संदेह के आधार पर श्री रामभाई जयपुरिया को नोटिस जारी किये जाने एवं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि विवादित माल कर चोरी की नियत से दूसरे के नाम से आयात किया गया है, व्यवहारी पर आयातित माल कीमतन रूपये 6,65,824/– पर धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 1,50,165/– आरोपित की गई। साथ ही

लगातार.....2

वाहन चालक श्री अजमेर सिंह को कर चोरी में सहयोगी मानते हुए अधिनियम की धारा 78(8) के तहत शास्ति रूपये 1,50,165/— का आरोपण आदेश दिनांक 21.03.1997 से किया गया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी/वाहन चालक की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी थी, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए धारा 78(5) व धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया। उक्त दोनों अपीलीय आदेशों के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत की गयी थी, जो अपील संख्या 499/2009 व अपील संख्या 505/2009 के रूप में पंजीकृत की गयी। अपील संख्या 499/2009, माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 10.10.2014 से अस्वीकार की जा चुकी है तथा प्रस्तुत अपील संख्या 505/2009 का निस्तारण इस आदेश से किया जा रहा है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(8) के तहत जो आदेश पारित किया गया था, वह विधिसम्मत था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा माल के दस्तावेज राज्य के बाहर दिल्ली के बनाये गये थे, जबकि माल राजस्थान में खाली होना पाया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 78(8) के तहत ट्रांसपोर्टर की मिलीभगत होने के आधार पर जो शास्ति आरोपित की गयी है, वह उचित थी। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 78(5) के तहत सृजित अन्य प्रकरण, जिसमें प्रत्यर्थी माल मालिक के विरूद्ध माल के गमनागमन के दौरान वाद स्थापित कर सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 19.03.1997 से जो शास्ति आरोपित की गयी थी, उसे अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2008 द्वारा अपास्त करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया है एवं उसके पश्चात माननीय कर बोर्ड ने भी विभाग द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 499/2009/जयपुर में आदेश दिनांक 10.10.2014 पारित करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि की गयी है, जिसमें यह निर्णय लिया

लगातार.....3

गया था कि जांच के समय माल के विधिक दस्तावेज उचित रूप से प्रस्तुत कर दिये गये थे, अतः अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का कोई उल्लंघन नहीं होना निर्णीत किया गया था।

7. चूंकि इस प्रकरण में ही धारा 78(5) का मामला माननीय कर बोर्ड द्वारा अविधिक मानते हुए अपास्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में उन्हीं तथ्यों पर मिलीभगत का मामला अवधारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मूल रूप से धारा 78(2) का अभियोग ही समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में धारा 78(8) में कोई शास्ति आरोपणीय नहीं रह जाती है। अतः माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 10.10.2014 के आलोक में धारा 78(8) की शास्ति स्वतः ही अपास्तनीय है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2008 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य